

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/123/2021/एफ0सी0/1268

दिनांक: 24/12/2021

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद – पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत मुछियाली चाराकोट मोटर मार्ग से कमरगढ़ होतु हुये देहलचौरी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.19 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/Road/145876/2021)

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या—
1069/FP/UK/Road/145876/2021 दिनांक 26-10-2021

महोदय,


उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:—

1. सी०ए० क्षेत्र के डी०एस०एस० विश्लेषण के अनुसार, सिविल सोयाम भूमि में 2 हेक्टेयर क्षेत्र एम०डी०एफ० में पाया गया है। मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश दिनांक 08.11.2017 के अनुसार, क्योंकि सी०ए० क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में नहीं है, सी०ए० हेतु क्षेत्र को स्वीकार किया जा सकता है तथा आपसे अनुरोध है कि अवनत वन भूमि में शेष पौधारोपण योजना एवं चयनित क्षेत्र का विवरण, KML file इत्यादि प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. के०एम०एल० फाइल के अवलोकन उपरान्त यह पाया गया है कि सभी ग्राम पूर्व से ही मार्ग से जुड़े हुए हैं, वन क्षेत्र में 107 वृक्षों के पातन के साथ अतिरिक्त मार्ग का निर्माण उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तावित मार्ग केवल दो मौजूदा मार्गों को जोड़ता प्रतीत होता है। अतः आप इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. एफ०आर०ए० के एस०डी०एल०सी० में दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक अंकित करते हुए एस०डी०एल०सी० बैठक की proceedings upload करने का कष्ट करें।

4. पंचूर ग्राम की वी0एल0सी0 बैठक की proceedings अपलोड नहीं पाई गई है। आपसे अनुरोध है कि पंचूर ग्राम की वी0एल0सी0 बैठक की proceedings विधिवत् स्वीकृति से पूर्व अपलोड करने का कष्ट करें।
5. भाग II में uploaded सी0ए0 योजना और स्थल निरीक्षण आख्या स्वच्छ रूप से scanned एवं पढ़ने योग्य नहीं है। आपसे अनुरोध है कि इन दस्तावेजों की मूल प्रति अपलोड करने का कष्ट करें।

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,



(मीरा अग्रवाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अग्रवाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)